

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह ,  
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

उप समहर्ता, राजस्व प्रमंडल,  
जल संसाधन विभाग, रॉची ।

रॉची, दिनांक **०५/०४/१९**

विषय :-

वित्तीय वर्ष २०१९-२० के मांग संख्या- ४९ जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-२७०१- मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष -०३- मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष -००१ निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष -०३- सिंचाई योजनाओं से राजस्व संग्रहण मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१९-२० में बजट मुख्य शीर्ष २७०१- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

१	२	३	४	५
१.	मांग संख्या ४९ जल संसाधन विभाग/ २७०१-मध्यम सिंचाई	०३- मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक /००१-निदेशन तथा प्रशासन	०३-सिंचाई योजनाओं से राजस्व संग्रहण	<b>१७६.३४०</b>

कुल आवंटित राशि -

रूपये एक करोड़ छिह्न्तर लाख चौंतीस हजार मात्र

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष २०१९-२० के बजट उपबंध ₹ १७६.५२ लाख (एक करोड़ छिह्न्तर लाख बावन हजार मात्र) के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.१९, १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ एवं १६८१ दि. ०१.०६.१५ के आलोक में होगा।
4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
5. आवंटित राशि से दिनांक १५.११.२००० के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से ही किया जायेगा।
6. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित राशि की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्यशीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, १५.११.२००० के बाद का बकाया वेतनादि तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति की निकासी वित विभाग का पत्रांक-१७० दिनांक-०१.०४.२०१४ से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।


(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अधि.)

(रमेश कुमार दूबे)  
विशेष सचिव

- 2
9. वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
  10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
  11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
  12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यापर्ण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यापर्ण **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यापर्ण प्रतिवेदन हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke No/ Surrender no** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
  13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
  14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
  15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (**chronological order**) किया जाय।
  16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2020 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

**नोट :** यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

**अनु. :-** यथोक्त


  
(अरुण कुमार सिंह) 4.4.19  
अपर मुख्य सचिव

**ज्ञापांक :-** ०६

रॉची, दिनांक :- ०५/०४/१९

**प्रतिलिपि :-** महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनु. :-** यथोक्त


  
(अरुण कुमार सिंह) 4.4.19  
अपर मुख्य सचिव

**ज्ञापांक :-** ०६


रॉची, दिनांक :- ०५/०४/१९


**प्रतिलिपि :-** अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मौनिटरिंग, प्रमंडल-3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनु. :-** यथोक्त

  
(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि.)

  
(रमेश कुमार दूबे)  
विशेष सचिव

  
(अरुण कुमार सिंह) 4.4.19  
अपर मुख्य सचिव

मांग संख्या-४९-जल संरक्षण विभाग

मुख्य शीर्ष-२७०१-मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-०३-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक

लघु शीर्ष-००१-निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-०३-सिंचाई योजनाओं से राजस्व संग्रहण

पत्रांक ०६ दिनांक ०५/०५/१९ का अनुत्तरानक

पारिशिष्ट-I

क्र० सं	वित्तीय वर्ष २०१९-२०२०	विद्युत शीर्ष-०१-बैतन एवं भर्ते	विद्युत शीर्ष-०२-योजना व्यय	विद्युत शीर्ष-०३-प्रशासनिक व्यय					विद्युत शीर्ष-०४-गौदराजिया व्यय	विद्युत शीर्ष-०५-गोटसाइया व्यय	विद्युत शीर्ष-०६-मरमाति व्यय	विद्युत शीर्ष-०७-अन्य व्यय	(आवंटित राशि लाख रुपये में)			
				बैतन	१५.११.२००० के पूर्व का बकाया	एलटीजी०	देशीय याजा व्यय	कार्यालय व्यय	किरणारदे, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूषणाप वर्दी	विद्युत व्यय	मॉडर्नाइज़ेशन एवं मरमाति	विद्युत प्रभार	कुल योग अनुचित	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१	उप समाहर्ता, राजस्व प्रमंडल,	आबंटन	१७३.५२०	०.०००	०.२००	०.२५०	०.६००	०.१२०	०.६००	०.१५०	०.०००	०.१००	०.६००	०.२००	१७६.३४०	
	रोक्ति राजीव															
	(रमेश कुमार द्व्यादश)															
	उप सचिव (अधिक०)															

आवंटित राशि-

रूपये एक करोड़ छिह्नतार लाख चाँतीस हजार मात्र

विशेष सचिव

(रमेश कुमार द्व्यादश)

उप सचिव (अधिक०)

विशेष सचिव

(रमेश कुमार द्व्यादश)

उप सचिव

(अल्पण कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

४.५.१९